



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या:ए-49/11/01/2019-रा.भा.अधिसूचित कार्यालय(इकाई)

दिनांक: अप्रैल, 2025

सेवा में,

चिकित्सा अधीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, रावाभाटा,
रायपुर (छत्तीसगढ़)-493221

विषय: राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत निगम इकाइयों को अधिसूचित करना।

महोदय/महोदया,

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, रावाभाटा, रायपुर (छत्तीसगढ़) के 80% से अधिक कर्मिकों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना संख्या ई-11016/1/2022-रा.भा.नी., दिनांक 25.03.2025 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,
Digitally signed by
Shyam Kumar
Date: 25-04-2025
14:44:38
संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
5. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
7. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, क.रा.बी.निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या:ए-49/11/01/2019-रा.भा.अधिसूचित कार्यालय(इकाई)

दिनांक: अप्रैल, 2025

सेवा में,

संयुक्त निदेशक (प्रभारी),
उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल,
प्रथम तल, ईएसआई डिस्पेंसरी भवन,
बड़े मकान एक्सटेंशन, एन.आर. मोहल्ला,
बेंगलोर-मैसूर रोड, मैसूर-570007

विषय: राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत निगम इकाइयों को अधिसूचित करना।

महोदय/महोदया,

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मैसूर (कर्नाटक) के 80% से अधिक कर्मिकों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना संख्या ई-11016/1/2022-रा.भा.नी., दिनांक 25.03.2025 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,
Digitally signed by
Shyam Kumar
Date: 24-04-2025
(१५/०४/२५)

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
5. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
7. सभी संचालकाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, क.रा.बी.निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Hindi Section)

New Delhi, the 25th March, 2025

S.O. 569.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended, 1987) the Central Government hereby notifies the following offices under the administrative control of the Ministry of Labour & Employment, more than 80% Staff whereof have acquired working knowledge of Hindi:-

1. Employees' Provident Fund Organization, Regional Office, Bihar and Jharkhand, Patna
2. Employees' Provident Fund Organization, Regional Office, Kerala and Lakshadweep, Thiruvananthapuram
3. Employees' Provident Fund Organization, Regional Office, Odisha, Bhubaneswar
4. Employees' Provident Fund Organization, Regional Office, Andhra Pradesh, Vijayawada
5. Employees' Provident Fund Organization, Regional Office, Alwar.

[F. No. E-11016/1/2022-RBN]

NAGESH KUMAR SINGH, Dy. Director General

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2025

का.आ. 570.—केंद्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा अधिसूचित करती है:

1. कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, रावाभाटा, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम उप क्षेत्रीय कार्यालय, मैसूर, (कर्नाटक)

[फा. सं. ई-11016/1/2022-रा.भा.नी]

नागेश कुमार सिंह, उपमहानिदेशक

New Delhi, the 25th March, 2025

S.O. 570.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended, 1987) the Central Government hereby notifies the following offices under the administrative control of the Ministry of Labour & Employment, more than 80% Staff whereof have acquired working knowledge of Hindi:-

1. Employees' State Insurance Corporation Hospital, Rawabhata, Raipur (Chhattisgarh)
2. Employees' State Insurance Corporation, Sub-Regional Office, Mysuru (Karnataka)

[F. No. E-11016/1/2022-RBN]

NAGESH KUMAR SINGH, Dy. Director General

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2025

का.आ. 571.—एतद्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस मंत्रालय की दिनांक 09 मार्च 2022 की समसंख्यक अधिसूचना के हिन्दी संस्करण में क्रम संख्या 27 एवं 29 में तथा अंग्रेजी संस्करण में क्रम संख्या 05, 11, 27 और 29 में कार्यालयों के नाम को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

क्रम संख्या	के लिए	पढ़ा जाए
27.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र एवं छ.ग. भोपाल	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, आंचलिक कार्यालय, म.प्र एवं छ.ग. भोपाल
29.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, हुब्वल्ली	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, आंचलिक कार्यालय, हुब्वल्ली